Result Mitra Daily Magazine

अकाल तख्त

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे एवं शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को 2007 से 2017 तक शिअद सरकार के कथित कुशासन के लिए सिखों के सर्वोच्च संस्था "अकाल तख्त" के द्वारा धार्मिक दंड दिया गया है।
- "अकाल तख्त" द्वारा सुखबीर सिंह बादल को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद छोड़ने के अलावा उन्हें स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) में टॉयलेट साफ करने की सजा सुनाई गई थी।
- हालांकि प्रकाश सिंह बादल के पैर में लगी चोट के कारण अकाल तख्त ने उनकी सजा में बदलाव करते हुए स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर सेवादार रहने की सजा सुनाई गई जहां कुछ हमलावरों ने उन पर गोली चलाई लेकिन उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची।
- प्रकाश सिंह बादल के अलावा शिअद सरकार ने तत्कालीन मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी अकाल तख्त के आदेश पर स्वर्ण मंदिर में स्नानघर और बर्तन साफ कर रहे हैं।

➢ अकाल तख्त :

- "अकाल तख्त" पंजाब के अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के परिसर में हर मंदिर साहिब के सामने स्थित है।
- "अकाल तख्त" की स्थापना सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह (1595–1644) ने वर्ष 1609 ई. में स्थापित किया था।

- सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिख धर्म में राजनीति और सामाजिक समस्याओं के प्रति अपनी बुनियादी प्रतिबद्धता की औपचारिक घोषणा के लिए "अकाल तख्त" की स्थापना की।
- हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना अपने पिता गुरु अर्जुन देव को 1606 में मुगलों द्वारा फांसी देने के बाद की गई थी।
- सिख इतिहासकारों के अनुसार गुरु हरगोबिंद सिंह ने अपने सिख शासन की स्थापना के लिए "अकाल तख्त" नामक इस मंच का उपयोग किया एवं यहीं से अपना पहला हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें सिख मंडलियों से मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए घोड़े और हथियार देने का आग्रह किया गया था।
- अकाल तख्त से अपने पहले हुक्मनामे में गुरु हरगोबिंद सिंह ने दो तलवारे मांगी थी, जो "मिरी" और "पीरी" के रूप में था।
- "मिरी" अस्थाई शक्ति एवं "पीरी" आध्यात्मिकता का प्रतीक था।
- "अकाल तख्त" में बनाया गया 12 फीट ऊंचा सिंहासन किसी भी "मुगल शासक" के सिंहासन से ऊंचा था।
- ऐसा माना जाता है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का आदेश तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर ने 11 फुट ऊंचे सिंहासन पर बैठकर दिया था एवं किसी और को इतने ऊंचे सिंहासन बनाने से मना किया था।
- गुरु हरगोबिंद सिंह ने 12 फुट ऊंचे सिंहासन बनाकर खुले तौर पर भारत में मुगल संप्रभुता को अस्वीकार कर दिया।
- 1716 में खालसा सेना के जनरल बंदा सिंह बहादुर को फांसी होने के बाद "अकाल तख्त" सिखों के लिए केंद्र बिंदु बन गया।
- चूंकि सिखों को मुगल शासन के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, इसलिए सिख समुदाय के सदस्य वैशाखी और दिवाली के अवसर पर सरबत खालसा सभाओं के लिए "अकाल तख्त" पर इकट्ठा होकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे।
- "अकाल तख्त" पर सरबत खालसा के रूप में आखिरी सभा सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह (1801–34)ने वर्ष 1805 में इंदौर के मराठा राजकुमार जसवंत राव होलकर का समर्थन करने पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी।
- "अकाल तख्त" पर आयोजित होने वाले वार्षिक सभाओं के लिए सरबत खालसा ने प्रारंभ में अकाल तख्त जत्थेदार की नियुक्ति की।
- हालांकि भारत में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के बाद अकाल तख्त जत्थेदार की नियुक्ति "दरबार साहिब समिति" के नियंत्रण में आ गई।
- "दरबार साहिब समिति" में उस समय ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार सिख नेताओं का वर्चस्व था।

- वर्ष 1920 में सिख मंदिरों के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए स्थापित निकाय "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति" द्वारा 1925 में "सिख गुरुद्वारा अधिनियम" लाने के बाद अकाल तख्त जत्थेदार की नियुक्ति इसी के द्वारा की जाने लगी।
- "सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति" (SGPC) वर्तमान में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के सभी गुरुद्वारों की सर्वोच्च शासी निकाय है।

➢ अकाल तख्त धार्मिक सजा कैसे देता है ?

- अकाल तख्त के नियुक्त जत्थेदार सिखों की सर्वोच्च लौकिक शक्ति के प्रमुख के रूप में इस समुदाय का सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकारी होता है, जो इस समुदाय के मामले में अंतिम निर्णय लेता है।
- अकाल तख्त के जत्थेदार के रूप में नियुक्त धार्मिक प्राधिकारी को सिख इतिहास एवं धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान होना आवश्यक होता है।
- अकाल तख्त का न्याय केवल उन लोगों पर लागू होता है, जो स्वेच्छा से अकाल तख्त के अधिकार के प्रति समर्पित होते हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो खुद को सिख मानता है, उसे "अकाल तख्त" पर बुलाकर उस पर सिख धर्म के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है।
- अकाल तख्त द्वारा दी जाने वाली धार्मिक दंड, जिसे "तन्खाह" कहते हैं, का उद्देश्य अहंकार को दूर करना और विनम्रता पैदा करना है।
- आज तक किसी भी सिख समुदाय के लोगों ने अकाल तख्त द्वारा दी जाने वाली धार्मिक दंड का खंडन नहीं किया है।

➢ शिरोमणि अकाली दल और SGPC के बीच संबंध :

- शिरोमणि अकाली दल (SAD) और सिख गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी का संबंध ऐतिहासिक रूप से 1920 के गुरुद्वारा सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
- SGPC की स्थापना 15 नवंबर 1920 को की गई थी एवं इसी वर्ष 14 सितंबर को शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया था।
- शुरुआत में शिरोमणि अकाली दल ने SGPC में गुरुद्वारों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ सिखों को संगठित करने के लिए एक टास्क फोर्स के रूप में काम किया।
- SGPC और SAD दोनों ने मिलकर "खालसा पहचान" को सिख धर्म के केंद्र के रूप में स्थापित किया, जो आगे चलकर सिखों के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व का स्तंभ बन गया।
- आगे चलकर अकाल तख्त, SGPC और SAD सिख राजनीति के तीन ध्रुव बन गए।

- शिरोमणि अकाली दल अक्सर चुनावी प्रभुत्व के माध्यम से SGPC को नियंत्रित करता रहा।
- 191 सदस्यों वाली SGPC के जनरल हाउस में शिअद के 170 निर्वाचित सदस्य हैं, जिससे अकाल तख्त के जत्थेदार की नियुक्ति में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है।
- 1960–70 के दशक में शिअद का SGPC पर पूर्ण प्रभुत्व था, लेकिन 1973 में गुरु चरण सिंह टोहरा के SGPC के अध्यक्ष बनने के बाद SGPC में शिअद का नियंत्रण धीरे-धीरे कम होने लगा।
- वर्ष 2000 में टिहरा के निधन के बाद SGPC में शिअद ने अपना नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया।
- SGPC अध्यक्ष का चुनाव हर 5 वर्षों में होना होता है, लेकिन 2011 के बाद से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ है।

➢ अकाल तख्त द्वारा धार्मिक सजा दिए जाने वाले अन्य प्रमुख व्यक्ति :

- अकाल तख्त द्वारा महाराजा रणजीत सिंह, सुखदेव सिंह ढींढसा, ज्ञानी गुरबचन सिंह, सुच्चा सिंह लंगाह, हीरा सिंह गाबड़िया, बलविंदर सिंह मुंदर, दलजीत चीम और गुलजार सिंह को भी धार्मिक सजा सुनाई जा चुकी है।